न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
13/2025 प्रा.पत्र/2025	25.02.2025	11.12.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रक टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री धीरज जैन पुत्र श्री पारस जैन जाति महाजन निवासी चुंगी नाका जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स महावीर एसोसियेटस् चुंगी नाका जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक।
2–मैसर्स महावीर एसोसियेटस् चुंगी नाका जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक।
3–श्री कुलदीप राठौर नॉमिनी पारले बिस्किट प्रा0 लि0 केयर ऑफ मैसर्स धारियाव लोजिस्टिक केयर ऑफ विनायक वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जालीपुरा के पास, कोटा बांरा रोड ग्राम दसलाना जिला कोटा राज0।
4–मैसर्स पारले बिस्किट प्रा0 लि0 केयर ऑफ धारियाव लोजिस्टिक केयर ऑफ विनायक वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जालीपुरा के पास, कोटा बांरा रोड ग्राम दसलाना जिला कोटा राज0।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 व 2 श्री भागचन्द बैरवा
एवं अभिभाषक अप्रार्थी सं0 3 व 4 श्री मनमोहन शर्मा उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 11/12/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.05.2016 को समय 06:00 पी.एम. पर मैसर्स महावीर एसोसियेटस् चुंगी नाका जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर प्रोपरायटर की हैसियत से श्री धीरज जैन पुत्र श्री पारस जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स महावीर एसोसियेटस् चुंगी नाका जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ कन्फैक्शनरी, बिस्किट, नमकीन आदि का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री धीरज जैन पुत्र श्री पारस जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री धीरज जैन पुत्र श्री पारस जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में कागज के 4 कार्टूनों में 316–316 ग्राम पैक के **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी कच्चा मैंगो बाईट पारले ब्राण्ड** के लगभग 80 पैकेट पैक्ड अवस्था में आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री धीरज जैन पुत्र श्री पारस जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री धीरज जैन पुत्र श्री पारस जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान में कागज के 4 कार्टून में 316–316 ग्राम के लगभग 80 मूल पैक पैक्ड अवस्था में **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी(कच्चा मैंगो बाईट पारले ब्राण्ड)** को ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 4 मूल पैक नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी(कच्चा मैंगो बाईट पारले ब्राण्ड)** 316–316 ग्राग पैक को अलग–अलग चार भाग तैयार कर, नियामनुसार लेबल तैयार कर, प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया एवं प्रत्येक लबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1339 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1339 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री धीरज जैन पुत्र श्री पारस जैन मैसर्स महावीर एसोसियेटस् चुंगी नाका जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स पारले बिस्किट प्रा0 लि0 केयर ऑफ धारियाव लोजिस्टिक केयर ऑफ विनायक वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जालीपुरा के पास, कोटा बांरा रोड ग्राम दसलाना जिला कोटा का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/5110 दिनांक 21.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एलएस/278/एक्ट/2016/328 दिनांक 26.05.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी(कच्चा मैंगो बाईट पारले ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 व 2 श्री भागचन्द बैरवा ने उपस्थित होकर कथन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ पैक्ड अवस्था में निर्माता फर्म अप्रार्थी सं 3 व 4 से क्रय कर उसी अवस्था में ज्यों का त्यों विक्रय किया गया है। अतः इस खाद्य पदार्थ लेबल पर दी गई जानकारी के लिए निर्माता फर्म ही जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थी सं0 1 व 2 को दोषमुक्त किया जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 3 व 4 श्री मनमोहन शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर समस्त जानकारी यथा बैंच न0, ब्राण्ड नाम, निर्माण की दिनांक एवं उपयोग करने की समयवधि स्पष्ट रूप से अंकित थी, इसकी पुष्टि स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेते समय मौके पर तैयार किये गये फार्म नं0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

5ए में भरी जानकारी से होती है जिसमें बैंच नं0 NE08A व पैंकिग की दिनांक 01/16 होना अंकित है। जबकि पत्रावली में संलग्न खाद्य विश्लेषक, अजमेर की लैब रिपोर्ट में बैंच नं0 व पैंकिग दिनांक नहीं होना अंकित किया हैं जो सही रिपोर्ट नहीं है क्योंकि यह रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किये गये फार्म नं0 5 ए के तथ्यों के प्रतिकूल है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत आवेदन पत्र अप्रार्थी को दोषमुक्त करते हुए निस्तारित फरमाया जाये।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी(कच्चा मैंगो बाईट पारले ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है पत्रावली में संलग्न खाद्य विश्लेषक, अजमेर की लैब रिपोर्ट में बैंच नं0 व पैंकिग दिनांक नहीं होना अंकित किया हैं जबकि नमूना लेते समय मौके पर तैयार किये गये फार्म नं0 5ए में बैंच नं0 NE08A व पैंकिग की दिनांक 01/16 होना अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि खाद्य विश्लेषक, अजमेर की लेब रिपोर्ट में त्रुटि होने की संभावना है। प्रार्थी ने खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त लैब रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अतः प्रकरण का गुण व अवगुण के आधार पर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न फार्म नं0 5 ए व खाद्य विश्लेषक, अजमेर की लेब रिपोर्ट में उत्पन्न विरोधाभास की स्पष्टता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण में लिये गये नमूने को पुष्टि हेतु न्यायालय में मंगवाया गया। नमूने के संबंध में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक ने अपने पत्र कमांक 4526 दिनांक 17.11.2025 से अवगत कराया कि वांछित नमूना 5 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण कार्यालय में नहीं मिल पा रहा है। अतः प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का निवेदन किया गया है। पत्रावली में संलग्न खाद्य विश्लेषक, अजमेर की लैब रिपोर्ट में बैंच नं0 व पैंकिग दिनांक नहीं होना अंकित किया हैं जबकि नमूना लेते समय मौके पर तैयार किये गये फार्म नं0 5ए में बैंच नं0 NE08A व पैंकिग की दिनांक 01/16 होना अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि खाद्य विश्लेषक, अजमेर की लेब रिपोर्ट में त्रुटि होने की संभावना है व उक्त खाद्य पदार्थ के मिथ्याछाप स्तर का होने पर संदेह हैं अप्रार्थी को मात्र संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर अप्रार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना उचित होगा। अतः अप्रार्थीगण को दोषमुक्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में किसी भी प्रकरण में लिये गये नमूने को संबंधित प्रकरण का न्यायालय में निस्तारण होने तक सुरक्षित रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/12/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सांकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोक